न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 31/2025

अनवान : —

1. जसवंत पुत्र रिसालाराम जाति जाट निवासी मौजाना तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

1. भीमसिंह पुत्र रिसालाराम जाति जाट निवासी मौजाना तहसील भादरा।
2. सावित्री देवी पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी मौजाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र शर्मा प्रार्थी
श्री राधेश्याम अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 04.09.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 46/39 के खसरा सं0 143/61, 147/14, 150/15, 153/97 कुल 2.1540है0 कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के चिपते हुए रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 47/39 के खसरा सं0 102, 142/61, 146/14, 149/15, 152/97 कुल 2.1540है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 भीमसिंह के नाम व रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 39/40 के खसरा सं0 144/61, 145/61, 148/14, 151/15, 154/97 कुल 2.1550है0 कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 2 सावित्री देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी सं0 1 के खसरा सं0 152/97 से होते हुए उत्तर से दक्षिण 20 फीट चौडाई में रास्ता स्वीकृत है और प्रार्थी आज तक अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से आवागमन करता आ रहा है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा नहीं है। यदि अप्रार्थी सं0 1 के खसरा सं0 152/97 में से पश्चिम से पूर्व होते हुए अप्रार्थी सं0 2 के खसरा सं0 154/97 से होते हुए 16—1/2 फीट चौडा स्वीकृत शुदा रास्ता दे दिया जाता है तो उससे कोई कानूनी अड़चन नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 व 2 को स्वीकृत रास्ते की भूमि के बदले भूमि व भूमि नहीं होने की सूरत में भूमि की कीमत देने के लिए तैयार है। रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि हमारी खातेदारी में से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है इसलिए हम इस रास्ता को बंद कर रहे है यदि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में उक्त रास्ता बंद कर देते है तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन नहीं कर पायेंगे तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आवागमन के अभाव में काश्त से वंचित रह जायेगें। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए सदामत से ही चालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:01:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 2 अपने–अपने हिस्से अनुसार अपनी–अपनी कृषि भूमि श्त कर रहे है। खसरा सं0 152/97 में से पश्चिम से पूर्व होते हुए अप्रार्थी सं0 2 के सरा सं0 154/97 से होते हुए 16–1/2 फीट चौडा रास्ता का उपयोग करता है। न्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता जस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने सहमति प्रकट कर रास्ता का अंकन या जाना स्वीकार किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत स्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के वज में प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 को देने की सहमती नुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी ीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार ीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 भीमसिंह की रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 47/39 के खसरा सं0 152/97 में से पश्चिम से पूर्व होते हुए 16–1/2 फीट चौडाई में व अप्रार्थी सं0 2 सावित्रीदेवी के नाम रोही मौजा मौजाना के खाता सं0 39/40 के खसरा सं0 154/97 से होते हुए 16–1/2 फीट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। व उक्त रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थी के नाम भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थी सं0 1 भीमसिंह व अप्रार्थीया सं0 2 सावित्रीदेवी के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे अन्यथा रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समीति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:01:38 IST
Reason: SelfAttested